

उत्तराखण्ड शासन  
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  
संख्या: 2598 /XVII(4)/2011/230/10  
देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के कार्यों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के नियम-5 के अधीन आयोग के सदस्य के पद पर श्री अरुण गुप्ता, निकट पंचायतघर, कौलागढ़, पोस्ट ऑफिस आईपी0ई0 देहरादून की तैनाती/नियुक्ति एतद्वारा की जाती है।

2- उक्तानुसार नियुक्त आयोग के सदस्य का वेतन, देय भत्तो व सेवा की अन्य शर्तें/सुविधायें कार्यालय ज्ञाप संख्या 2569/XVII(4)/2011 /230/10TC दिनांक 21-12-2011 के अनुसार होंगी।


आज्ञा से,

डा0 हेमलता ढौंडियाल  
सचिव

संख्या: 2598 (1)/XVII(4)/2011/तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समिति के मा0 सदस्य।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
7. निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग- 4, खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(डा0 हेमलता ढौंडियाल)  
सचिव